भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *106
दिनांक 11 फरवरी, 2025 / 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

अग्निशमन संबंधी सेवाओं का आधुनिकीकरण

***106. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा राज्यों में आपदा जोखिमों को कम करने के लिए अग्निशमन संबंधी सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु कोई कदम उठाया है/उठाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा राजस्थान सहित देश में ग्राम पंचायतों के स्तर पर आपदा जोखिमों को कम करने के लिए अग्निशमन संबंधी योजनाओं के विस्तार हेतु उक्त प्रावधानों को अनिवार्य बनाने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्य-योजना कब तक बनाए जाने / कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *106 दिनांक 11.02.2025

दिनांक 11.02.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए
तारांकित प्रश्न संख्या *106 के भाग (क) से (घ) के संबंध में विवरण।

अग्निशमन सेवाएं राज्य का विषय है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ब) के तहत बारहवीं अनुसूची में निगम कार्यों के रूप में शामिल किया गया।

यह राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे ग्राम पंचायतों सहित अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार, राजस्थान राज्य सहित देश में ग्राम पंचायतों के स्तर पर अग्निशमन योजनाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण और आपदा जोखिमों को कम करने के लिए किसी भी कार्य योजना का निर्माण/क्रियान्वयन राज्यों के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है और केंद्र सरकार की अग्निशमन सेवाओं के संबंध में केवल एक सलाहकार की भूमिका है।

राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पहचानते हुए, पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 5000 करोड़ रुपये के प्रावधान की सिफारिश की। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण फंडिंग विंडो से 5000 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय परिव्यय के साथ राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए दिनांक 4 जुलाई 2023 को "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना" शुरू की है। विस्तृत योजना https://www.mha.gov.in/en/commoncontent/policies-guidelines पर उपलब्ध है।

योजना के तहत, राज्य सरकारों को अपने संबंधित राज्यों के संसाधनों से परियोजनाओं/प्रस्तावों की कुल लागत का 25% (उत्तर-पूर्वी और हिमालयी (एनईएच) राज्यों को छोड़कर, जो 10% योगदान देंगे) योगदान करना होगा।

योजना के तहत, राज्यों को अपने-अपने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ करने की अनुमति है।

(i) नए फायर स्टेशनों की स्थापना, राज्य प्रशिक्षण केंद्रों को मजबूत करना और आग से बचाव के उपायों, जागरूकता कार्यक्रम, फायरफाइटर, स्वयंसेवकों और समुदाय की क्षमता निर्माण द्वारा अग्निशमन सेवाओं का विस्तार। इस गतिविधि के लिए 35% निधि आवंटित की गई है। जिसमें से 5% क्षमता निर्माण के लिए है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *106 दिनांक 11.02.2025

(ii) आधुनिक अग्निशमन उपकरणों की खरीद और राज्य मुख्यालयों और शहरी अग्निशमन स्टेशनों को मजबूत करके अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण। खरीदे जाने वाले उपकरणों में हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, टर्नटेबल सीढ़ी सहित अन्य शामिल हैं, जैसा कि 4 जुलाई, 2023 की योजना दिशानिर्देशों के साथ राज्यों को प्रसारित सांकेतिक सूची में दिया गया है। अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 50% निधि आवंटित की गई है।

(iii) किसी भी राज्य विशिष्ट मांग के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत न केवल राज्य अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाली अपनी चल रही परियोजनाओं को टॉप-अप करने के लिए अपनी मांग उठा सकते हैं, बल्कि राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें लचीलापन भी दिया गया है। निधि का 15% राज्य विशिष्ट मांग के लिए आवंटित किया गया है।

(iv) योजना के तहत 5000 करोड़ रुपये की कुल आवंटित निधि में से 500 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को उनके कानूनी और बुनियादी ढांचे-आधारित सुधारों के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए भी रखी गई है।

राज्यों को आवंटित धनराशि और योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-। पर है। अभी तक, योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए गृह मंत्रालय द्वारा बीस (20) राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, बीस (20) राज्यों में से, अठारह (18) राज्यों को परियोजनाओं की पहली किस्त के लिए 757.39 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की जा चुकी है:-

क्रम संख्या	राज्य	कुल आवंटन (करोड़ रुपये में)	राज्यों को जारी की गई पहली किस्त (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	252.86	56.89
2	मणिपुर	45.00	12.15
3	मेघालय	44.37	11.98

.....जारी

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *106 दिनांक 11.02.2025

4	तेलंगाना	190.14	42.78
5	उत्तर प्रदेश	768.67	172.95
6	हिमाचल प्रदेश	65.33	17.64
7	पंजाब	131.56	29.60
8	सिक्किम	32.25	8.70
9	त्रिपुरा	42.36	11.43
10	उत्तराखंड	78.89	21.30
11	असम	107.47	29.01
12	कर्नाटक	329.90	74.22
13	मिजोरम	40.00	10.80
14	तमिलनाडु	373.27	83.98
15	छत्तीसगढ़	147.745	33.24
16	नागालैंड	40.05	10.81
17	ओडिशा	200.384	45.09
18	पश्चिम बंगाल	376.76	84.77
19	अरुणाचल प्रदेश	63.95	-
20	गोवा	42.16	-

*****

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *106 दिनांक 11.02.2025

अनुलग्नक-I

अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना के तहत राज्यों को आवंटित धनराशि का राज्य-वार विवरण

करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्यों की सूची	केंद्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल आवंटन
1	आंध्र प्रदेश	189.7	63.23	252.93
2	अरुणाचल प्रदेश	57.57	6.39	63.96
3	असम	96.73	10.74	107.47
4	बिहार	255.69	85.23	340.92
5	छत्तीसगढ	110.82	36.94	147.76
6	गोवा	31.63	10.54	42.17
7	गुजरात	254.27	84.75	339.02
8	हरियाणा	87.48	29.16	116.64
9	हिमाचल प्रदेश	58.8	6.53	65.33
10	झारखंड	111	37.00	148.00
11	कर्नाटक	247.42	82.47	329.90
12	केरल	122.41	40.80	163.21
13	मध्य प्रदेश	298.15	99.38	397.54
14	महाराष्ट्र	461.61	153.87	615.48
15	मणिपुर	40.5	4.50	45.00
16	मेघालय	39.94	4.43	44.37
17	मिजोरम	36	4.00	40.00
18	नागालैंड	36.05	4.00	40.05
19	ओडिशा	150.83	50.27	201.10
20	पंजाब	98.67	32.89	131.56
21	राजस्थान	293.73	97.91	391.64
22	सिक्किम	29.03	3.22	32.25
23	तमिलनाडु	280	93.33	373.33
24	तेलंगाना	142.61	47.53	190.14
25	त्रिपुरा	38.15	4.23	42.38
26	उत्तर प्रदेश	577.43	192.47	769.90
27	उत्तराखंड	71.03	7.89	78.92
28	पश्चिम बंगाल	282.57	94.19	376.76
कुल		4499.84	1387.99	5887.83

*****